भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2657
17.03.2025 को उत्तर के लिए

आईएसएफआर, 2023 में कमियां

2657. श्री सुदामा प्रसाद :
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :
श्री कुलदीप इंदौरा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 4/02/25 को 'द वायरइन' में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) को एक त्रुटिपूर्ण योजना बताया गया है, जो व्यवसायों को संदिग्ध वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है तथा जिसका उपयोग बाद में वनों को हटाने के लिए किया जाता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) जीसीपी के तहत इसकी शुरुआत से अब तक वित्त पोषित वृक्षारोपण का ब्यौरा क्या है;

(ग) जीसीपी के तहत बड़े व्यवसायों द्वारा गलत ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिए उपयुक्त विनियमों का ब्यौरा क्या है तथा इसके विरुद्ध क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष आवरण में वृद्धि मुख्य रूप से नारियल, पाम ऑयल और रबर सहित वृक्षारोपण से हुई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके विरुद्ध क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या जीसीपी के कार्यान्वयन से पहले कोई समिति गठित की गई थी और यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले दशक में 1.49 मिलियन हेक्टेयर वनों के नष्ट होने की रिपोर्टों पर विचार करते हुए वनों की कटाई से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(छ) क्या आईएसएफआर कार्यप्रणाली वन संरक्षण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुरूप है तथा वन क्षेत्रों को डिजिटल बनाने और कानूनी रूप से संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) क्या सरकार वैज्ञानिक सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीय जमीनी सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए आईएसएफआर मूल्यांकन विधियों को संशोधित करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो समय-समय पर हमारे वनों का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ज) केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण के संबंध में स्वैच्छिक सकारात्मक कार्रवाइयों, जिनके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं और इस प्रयोजन के लिए एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी)) पोर्टल)https://moefcc-gcp.in/) भी विकसित किया है।

वर्तमान में, अवक्रमित वन भूमि की पारि-पुनर्बहाली के लिए वृक्षारोपण कार्यकलाप, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। दिनांक 04.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार देश में पंजीकृत भू-खंडों की राज्य-वार स्थिति **संलग्नक-I** में दी गई है। इसकी शुरुआत से, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा पारि-पुनर्बहाली के लिए विभिन्न राज्यों में 172 भू-खंडों पर 3610.47 हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि का चयन किया गया है और इन संस्थाओं से पारि-पुनर्बहाली और 10 वर्ष तक के अनुरक्षण के लिए निधीयन प्राप्त हुआ है (**संल्गनक-II**)।

इस मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, विशेषज्ञों, उद्योगों, अनुसंधानकताओं एवं शिक्षाविदों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किए हैं। वृक्षारोपण आधारित कार्यकलाप में ग्रीन क्रेडिट के संबंध में कार्यप्रणाली तथा निगरानी, संसूचन और सत्यापन कार्यतंत्र विकसित करने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया था। मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के लिए विस्तृत कार्यरीतियां फरवरी 2024 में प्रकाशित की गई हैं (**संलग्नक-III**)। कार्यप्रणालियों, दिशा-निर्देशों और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से जीसीपी के तहत पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

देश के वनावरण का आकलन करने के लिए आईएसएफआर (भारत वन स्थिति रिपोर्ट) में प्रयुक्त कार्यप्रणाली उपग्रह चित्र की व्याख्या पर आधारित है। बीते वर्षों में, एफएसआई द्वारा अनेक उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने से एफएसआई द्वारा किए गए वनावरण के मानचित्रण में पर्याप्त सुधार हुआ है। हुई प्रगतियों में बेहतर उपग्रह डेटा का उपयोग, मानचित्रण के उच्चतर पैमाने और व्याख्या की विधियों में सुधार शामिल हैं। वन आवरण का आकलन करते समय, एफएसआई अभिलिखित वन क्षेत्रों (आरएफए) और अभिलिखित वनों के बाहर के क्षेत्रों, दोनों पर विचार करता है और अपने आकलनों और निगरानी संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्य वन विभागों (एसएफडी) और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई आरएफए की अंकीकृत सीमाओं का उपयोग करता है। एफएसआई को आईएसएफआर 2023 के संबंध में 25 राज्य वन विभागों (एसएफडी)/संघ राज्य क्षेत्रों से अंकीय प्रारूप में अभिलिखित वन क्षेत्र की सीमाओं का विवरण प्राप्त हुआ है। एसएफडी द्वारा उपलब्ध कराई गई आरएफए की सीमाओं के विवरण में संलग्न क्षेत्रों का ब्यौरा, आईएसएफआर 2023 के अनुसार, **संलग्नक-IV** में दिया गया है। राज्य वन विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस को वन संरक्षण अधिनियम (1980) के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एफएसआई द्वारा तैयार किए गए वेब-जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) पोर्टल में समाविष्ट किया गया है।

देश के वन संसाधनों पर नजर रखने के लिए एफएसआई, वनों के संबंध में द्विवार्षिक रिपोर्ट नामत: 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' प्रकाशित करता है। वर्ष 1987 की प्रथम रिपोर्ट में 1:1 मिलियन के पैमाने पर 80 मीटर के स्थानिक विभेदन के साथ लैंडसैट-एमएसएस उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया था, जबकि नवीनतम रिपोर्ट अर्थात आईएसएफआर 2023, 23.5 मीटर के स्थानिक विभेदन और 1:50,000 के पैमाने पर रिसोर्ससैट-2 एलआईएसएस III उपग्रह चित्र पर आधारित है। एफएसआई ने हमेशा से प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के साथ सामंजस्य रखा है और बीते वर्षों में अपने आकलन में सुधार किया है। वैज्ञानिक सटीकता, पारदर्शिता, विश्वसनीय प्रत्यक्ष सत्यापन और वनावरण का सही आकलन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसआई ने आईएसएफआर 2021 में अपने प्रत्यक्ष सत्यापन संबंधी बिंदुओं को 3,414 से बढ़ाकर आईएसएफआर 2023 में 8,494 कर दिया।

*****

संलग्नक-I

दिनांक 04.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की स्थिति

क्र.सं.	**राज्य**	**वन विभागों द्वारा जीसीपी पोर्टल पर कुल पंजीकृत भू-खंड/ब्लॉक (संख्या)**	**वन विभागों द्वारा जीसीपी पोर्टल पर कुल पंजीकृत भू-खंड/ब्लॉक (क्षेत्र हेक्टे में)**
1	आंध्र प्रदेश	778	12130.98
2	असम	10	454
3	बिहार	57	4108.71
4	छत्तीसगढ	94	1954.92
5	गोवा	2	10
6	गुजरात	159	3122.48
7	हरियाणा	14	128
8	झारखंड	351	5671.89
9	कर्नाटक	38	1027.6
10	मध्य प्रदेश	310	15020.65
11	महाराष्ट्र	107	1572.55
12	ओडिशा	105	1029.63
13	राजस्थान	17	908
14	तमिलनाडु	167	4708.04
15	तेलंगाना	77	1738.02
16	उत्तर प्रदेश	67	883.96
17	उत्तराखंड	11	200.03
	कुल	**2364**	**54669.46**

संलग्नक-II

जीसीपी की शुरूआत से इसके तहत पौधरोपण के लिए किए गए निधीयन का ब्यौरा :

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	संस्था का नाम	राज्य	प्रभाग	अंतिम क्षेत्र	प्राप्त कुल राशि
1	241	कोल इंडिया लिमिटेड	असम	ग्वालपाड़ा	99	5,21,92,257.70
2	217	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	पश्चिमी असम वन्यजीव	50	2,96,35,846.90
3	215	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	पश्चिमी असम वन्यजीव	35	2,04,29,252.80
4	219	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	कामरूप पश्चिम	5	48,73,371.80
5	220	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	कामरूप पश्चिम	34	2,35,32,958.90
6	221	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	कामरूप पश्चिम	16	1,10,35,391.40
7	237	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	ग्वालपाड़ा	80	4,25,82,332.10
8	240	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	ग्वालपाड़ा	84	5,04,83,736.60
9	239	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	ग्वालपाड़ा	25	1,65,91,941.30
10	238	ऑयल इंडिया लिमिटेड	असम	ग्वालपाड़ा	25	1,59,46,792.40
11	1345	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	बिहार	कैमूर	50	3,24,84,940.00
12	243	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिहार	मुंगेर	100	4,68,56,932.00
13	244	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिहार	मुंगेर	50	2,39,91,404.00
14	282	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिहार	रोहतास	50	2,90,21,330.00
15	312	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिहार	कैमूर	100	6,00,39,735.00
16	355	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिहार	नवादा	55	3,39,49,411.00
17	1267	नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड	बिहार	नवादा	55	3,33,61,448.00
18	648	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	कांकेर प्रभाग	20	2,57,32,978.70
19	749	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	जांजगीर-चंपा प्रभाग	10	1,28,66,480.00
20	823	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	25	3,21,66,200.00
21	390	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	जशपुर प्रभाग	19	2,44,46,333.00
22	262	एनटीपीसी लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही प्रभाग	9	1,15,79,832.00
23	123	एनटीपीसी लिमिटेड	छतीसगढ़	रायगढ़ संभाग	10	1,28,66,480.00
24	120	एनटीपीसी लिमिटेड	छतीसगढ़	रायगढ़ संभाग	15	1,92,99,720.00
25	277	एनटीपीसी लिमिटेड	छतीसगढ़	जांजगीर-चंपा प्रभाग	15	1,89,13,725.60
26	266	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा	12	1,54,11,704.00
27	1243	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	जांजगीर-चंपा प्रभाग	5	64,21,543.00
28	1243	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	जांजगीर-चंपा प्रभाग	20	2,56,86,173.00
29	318	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	सूरजपुर प्रभाग	30	3,91,08,241.00
30	293	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	सूरजपुर प्रभाग	25	3,21,07,742.00
31	323	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	सूरजपुर प्रभाग	20	2,56,86,195.00
32	286	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	सूरजपुर प्रभाग	20	2,56,86,195.00
33	460	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	कोरबा प्रभाग	10	1,28,43,052.00
34	251	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	40	5,13,72,346.00
35	379	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	25	3,21,07,716.00
36	272	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	10	1,28,43,086.00
37	259	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	20	2,56,86,173.00
38	252	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	26	3,33,92,027.00
39	281	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	19	2,44,01,864.00
40	279	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	20	2,56,86,173.00
41	274	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छतीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	15	1,92,99,720.00

42	270	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	15	1,92,64,630.00
43	268	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	20	2,56,86,173.00
44	265	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	15	1,92,64,630.00
45	261	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	20	2,56,86,173.00
46	267	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	10	1,28,43,086.00
47	263	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़	मारवाही, पेंड्रा सड़क प्रभाग	10	1,28,43,086.00
48	2188	ओएनजीसी, गोवा	गोवा	उत्तर गोवा प्रभाग	5	53,75,508.60
49	373	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	गोधरा	63	4,92,79,692.00
50	410	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	साबरकांठा	50	3,11,35,874.00
51	411	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	साबरकांठा	50	3,12,21,898.00
52	414	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	साबरकांठा	40	2,47,83,220.00
53	408	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	सुरेंद्रनगर	20	1,28,49,760.00
54	471	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	अरावली	22	1,78,36,588.00
55	332	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	छोटाउदेपुर	25	1,52,50,466.00
56	340	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	अरावली	36	2,57,04,910.00
57	467	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	अरावली	10	76,63,502.00
58	466	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	अरावली	10	75,41,688.00
59	421	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात	अरावली	30	1,93,03,746.00
60	928	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	छोटाउदेपुर	10	76,71,048.00
61	980	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	58,75,100.00
62	798	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	साबरकांठा	9	66,35,090.00
63	1351	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	सूरत	10	73,27,166.00
64	1352	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	सूरत	5	35,54,166.00
65	1353	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	सूरत	5	38,88,346.00
66	984	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	58,14,732.00
67	837	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	55,64,636.00
68	1121	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	58,25,512.00
69	1031	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	10	67,47,202.00
70	1035	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	5	37,58,986.00
71	1045	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	10	67,31,032.00
72	1019	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	10	66,37,246.00
73	936	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	सुरेंद्रनगर	6	44,62,920.00
74	1120	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	51,78,712.00
75	839	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	10	76,72,126.00
76	1343	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	10	65,05,730.00
77	977	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	70,27,482.00
78	1344	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	57,69,456.00
79	1341	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	58,93,426.00
80	979	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	58,83,724.00
81	1340	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	61,16,572.00
82	1342	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	67,21,330.00
83	985	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	59,30,078.00
84	1125	एनएचपीसी लिमिटेड	गुजरात	बनासकांठा	10	88,52,536.00
85	917	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	गुजरात	बारिया	10	71,90,700.00
86	887	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	गुजरात	भरूच उप प्रभाग	10	69,53,100.00
87	864	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	गोधरा	16	1,27,22,600.00
88	420	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	साबरकांठा	15	1,22,40,800.00

89	763	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	महिसागर	14	1,33,16,600.00
90	321	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	सूरत	10	67,12,200.00
91	325	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	सूरत	20	1,50,10,600.00
92	879	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	गांधीनगर	15	1,92,23,600.00
93	868	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	वलसाड-दक्षिण	20	1,25,56,500.00
94	835	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	5	60,58,800.00
95	834	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	व्यारा	9	1,10,88,000.00
96	903	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	छोटाउदेपुर	10	68,12,300.00
97	949	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	नर्मदा	25	1,56,20,000.00
98	692	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	अरावली	7	54,50,500.00
99	914	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	छोटाउदेपुर	10	65,75,800.00
100	1026	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	10	68,46,400.00
101	1030	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	10	64,83,400.00
102	1032	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	10	69,37,700.00
103	1034	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	डांग-उत्तर	10	65,39,500.00
104	1066	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	वलसाड-उत्तर	10	68,13,400.00
105	1109	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	वलसाड-दक्षिण	10	69,41,000.00
106	1110	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	वलसाड-दक्षिण	10	65,26,300.00
107	1119	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुजरात	वलसाड-दक्षिण	10	66,69,300.00
108	1882	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	दमोह (टी)	50	1,88,10,215.60
109	1840	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	दमोह (टी)	50	1,84,95,340.60
110	409	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	रीवा	40	2,44,74,298.20
111	103	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सीधी	50	2,90,97,136.00
112	90	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	पश्चिम छिंदवाड़ा	30	1,08,68,326.00
113	91	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	पश्चिम छिंदवाड़ा	20	84,17,504.00
114	144	एनटीपीसी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	30	1,67,16,481.00
115	138	एनटीपीसी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	25	1,84,70,955.00
116	132	एनटीपीसी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	30	1,45,12,552.00
117	130	एनटीपीसी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	25	1,52,25,258.00
118	95	एनटीपीसी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	खरगोन	35	2,02,46,705.92
119	87	एनटीपीसी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	खरगोन	30	1,74,31,318.80
120	1336	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	उत्तर बेतूल	50	1,26,61,978.00
121	211	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सीधी	25	1,58,22,393.00
122	101	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	सीधी	20	1,44,21,274.00
123	1396	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	20	2,05,65,221.60
124	1395	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	25	1,66,49,620.00
125	1394	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	15	2,13,86,158.00
126	1393	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	10	1,43,83,427.00
127	1391	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	10	1,15,85,874.00
128	1390	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	15	1,37,27,038.00
129	1389	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	25	2,07,87,963.00
130	15	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	8	1,34,65,864.44
131	13	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	8	1,30,13,708.12
132	18	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	7	1,31,20,252.74
133	17	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	5	1,16,83,643.30
134	16	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	5	1,11,64,286.42
135	11	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	12	1,83,76,647.38

136	8	एनटीपीसी लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	10	1,88,35,853.82
137	2189	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	सतारा	30	2,19,41,088.40
138	1272	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	पूर्व नासिक	15	1,69,40,259.60
139	22	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया	10	1,65,98,510.50
140	23	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया	10	1,63,02,193.60
141	10	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया	10	1,33,20,494.00
142	28	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया	8	1,66,52,346.70
143	27	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया	20	2,17,81,991.00
144	19	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया	10	1,13,99,317.60
145	21	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	गोंदिया	20	2,16,74,012.80
146	351	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	भंडारा	10	1,59,29,554.30
147	1819	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ओडिशा	बारीपदा	12.6	1,47,05,949.50
148	45	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ओडिशा	बारीपदा	10	1,52,25,501.50
149	46	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ओडिशा	बारीपदा	10	1,52,25,501.50
150	67	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ओडिशा	जेयपोर	5	48,18,748.00
151	1588	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ओडिशा	कोरापुट	10	1,05,51,200.00
152	59	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ओडिशा	सोनेपुर	10	65,84,285.40
153	1756	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	अथागढ़ प्रभाग	7	70,35,645.00
154	1757	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	अथागढ़ प्रभाग	5	53,05,197.70
155	1758	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	अथागढ़ प्रभाग	8	78,38,331.60
156	1786	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	बोनई	10	90,33,377.00
157	1443	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	घुमसूर दक्षिण	10	85,17,223.00
158	1229	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	रायरखोल	10	80,23,414.00
159	39	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	अंगुल	5	66,70,145.48
160	40	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	अंगुल	5	68,77,029.46
161	58	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	कालाहांडी दक्षिण	20	1,09,94,281.61
162	36	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	बारीपदा	15	1,73,07,683.00
163	71	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	क्योंझर	20	1,16,03,841.00
164	104	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राजस्थान	अजमेर	49	1,56,83,846.00
165	357	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राजस्थान	अजमेर	50	1,58,39,121.00
166	947	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राजस्थान	अलवर	75	1,80,59,864.00
167	299	कोल इंडिया लिमिटेड	तेलंगाना	भद्राद्रि कोठागुडेम	50	3,34,95,233.00
168	229	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना	भद्राद्रि कोठागुडेम	45	3,01,49,290.00
169	290	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	तेलंगाना	भद्राद्रि कोठागुडेम	50	3,28,25,328.00
170	186	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	तेलंगाना	खामम	10	1,19,29,899.30
171	1253	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	5.87	36,48,690.00
172	1005	एनटीपीसी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	25	1,02,96,400.00
				कुल	**3610.47**	**2,80,46,90,954.29**

संलग्नक-III

फा.सं. एचएसएम-12/24/2023-एचएसएम(पार्ट2)-भाग(1), ई-220847
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग
*****

तीसरा तल, पृथ्वी ब्लॉक
इंदिरा पर्यावरण भवन
जोर बाग रोड
नई दिल्ली - 110003
दिनांक : 22 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करने की कार्यरीति के संबंध में।

1. परिचय :

1.1 ग्रीन क्रेडिट नियमों को भारत सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) के तहत उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत अपने मौजूदा या अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपाय, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट दिए जाते हैं, करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ''वृक्षारोपण'' भी शामिल है।

1.2 प्रारम्भ में, वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत आने वाली अवक्रमित भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में, वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट के लिए कार्यविधि की अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

1.3 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत अवक्रमित वन भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए निम्नलिखित कार्यरीति निर्धारित की जाती है।

2. कार्यरीति :

2.1 कार्यान्वयन एजेंसी का पंजीकरण :

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभाग/वन विकास निगम आवेदक वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रैंक का एक राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) प्रत्येक आईए द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रीन क्रेडिट आधार पर वृक्षारोपण के समग्र समन्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यान्वयन अधिकारी का पंजीकरण प्रत्येक आईए द्वारा प्रत्येक वन प्रभाग के लिए किया जाएगा। आईए, एसएनओ और आईओ का पंजीकरण जीसीपी पोर्टल पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, जिला, प्रभाग का नाम, अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, बैंक खाता का ब्यौरा आदि जैसे विवरण प्रदान करते हुए करना होगा।

2.2 भूमि के चयन के लिए मानदंड :

2.2.1 भूमि का प्रकार :

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत आने वाले अवक्रमित भूखण्ड जीसीपी के लिए पात्र होगें। केवल ऐसे भूखण्ड और वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र, जीसीपी पोर्टल में वृक्षारोपण ब्लॉक के रूप में पंजीकृत किए जाएंगे।

2.2.2 वृक्षारोपण का घनत्व :

स्थानीय सिल्वी-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 1100 पेड़ लगाने की क्षमता वाले वृक्षारोपण ब्लॉक को पंजीकरण के लिए चुना जाएगा।

2.2.3 वृक्षारोपण ब्लॉकों का आकार :

प्रत्येक वृक्षारोपण ब्लॉक एक सघन क्षेत्र होगा जिसका न्यूनतम आकार 5 हेक्टेयर होगा।

2.2.4 अन्य शर्तें :

वृक्षारोपण ब्लॉक सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त होगा और प्रबंधन योजना/कार्य योजना के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाएगा।

2.3 वृक्षारोपण ब्लॉक का पंजीकरण :

उपरोक्त अनुसार वृक्षारोपण के लिए भूमि के चयन के बाद, वृक्षारोपण ब्लॉक का पंजीकरण आईए द्वारा पोर्टल पर स्व-प्रमाणन के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक वृक्षारोपण ब्लॉक को विशिष्ट आईडी के साथ अलग से पंजीकृत किया जाएगा।

2.4 संस्था/ग्रीन क्रेडिट आवेदक (जीसीए) का पंजीकरण :

सरकारी संस्थान (जैसे पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, आदि), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (राज्य और केंद्रीय), गैर-सरकारी संगठन, निजी कंपनियां/संगठन/संस्थाएं, परोपकारी, व्यक्ति, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का समूह वृक्षारोपण आधारित जीसीपी के तहत जीसीए के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा। जीसीए का पंजीकरण जीसीपी पोर्टल पर आवश्यक विवरण जैसे नाम और पता, पहचान का प्रमाण, सम्पर्क विवरण, पंजीकरण ब्यौरा आदि देकर किया जाएगा।

2.5 जीसीए द्वारा वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन :

ग्रीन क्रेडिट (जीसी) के लिए आवेदन करने के इच्छुक पंजीकृत जीसीए वृक्षारोपण के लिए भूखण्ड का आवेदन करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत वृक्षारोपण ब्लाक से आवेदन करेगा।

2.6 मांग पत्र तैयार करना :

संबंधित आईओ द्वारा वृक्षारोपण और उसके रखरखाव (पहले वर्ष में अग्रिम कार्य और लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 10वें वर्ष तक रखरखाव कार्य) के लिए प्रावधान रखते हुए भारतीय रूपए में दरों की अनुसूची के अनुसार अनुमान तैयार किया जाएगा। वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए अनुमान तैयार करते समय सभी आवश्यक प्रावधान तैयार किए जाने चाहिए। तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी/अनुमोदन और अन्य आवश्यक जानकारी के विवरण के साथ वृक्षारोपण अनुमान एसएनओ की जांच और अनुमोदन के लिए जीसीपी पोर्टल पर प्रदान किया जाएगा। एसएनओ के अनुमोदन के बाद, प्रशासक

तकनीकी दृष्टिकोण से अनुमान की आगे जांच करेगा और निगरानी और सत्यापन के लिए प्रशासनिक लागत (अनुमानित लागत का 10%) शामिल करके पोर्टल पर एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा (प्रशासक के उपयोग का तंत्र लागत प्रशासक द्वारा अलग से विकसित किया जाएगा)। इसके बाद, इकाई एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्रशासक के बैंक खाते में भुगतान करेगी। भुगतान करने के बाद, आईए औपचारिक रूप से जीसीए को भूखण्ड/वृक्षारोपण ब्लॉक आवंटित करेगा। अनुमान तैयार करने के साथ-साथ भुगतान करने का कार्य प्रशासक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।

2.7 वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव :

संस्था से भुगतान प्राप्त होने के तुरंत बाद वृक्षारोपण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भुगतान प्राप्त होने के दो वर्ष के भीतर वृक्षारोपण पूरा किया जाना सुनिश्चित करना आईए की जिम्मेदारी होगी। प्रशासक द्वारा निर्धारित मद-वार व्यय के साथ वृक्षारोपण और रखरखाव कार्यों के सभी विवरण, आईए और आईओ द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.8 ग्रीन क्रेडिट (जीसी) जारी करना :

चूंकि पहले वर्ष में अग्रिम कार्य किए जाते हैं और पौधे प्राप्त किए जाते हैं और दूसरे वर्ष में वृक्षारोपण किया जाता है, इसलिए संस्था से भुगतान प्राप्त होने के दो वर्ष बाद ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। चयनित ब्लॉकों में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या और आईए द्वारा ऑनलाइन तैयार किए गए वृक्षारोपण पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासक द्वारा संस्था को जीसी प्रदान किए जाएंगे। जीसीपी पोर्टल के माध्यम से एक मानक प्रारूप में प्रति पेड़ एक जीसी की दर से संस्था को जीसी आवंटित किए जाएंगे।

3. वृक्षारोपण की निगरानी और संपरीक्षा :

वृक्षारोपण रिकॉर्ड/विवरण प्रशासक द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में ऑनलाइन रखा जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी के फील्ड अधिकारियों द्वारा गहन निगरानी की जाएगी और पोर्टल पर एक निर्धारित प्रारूप में रिपोर्टिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीसीपी के तहत प्रचलित कार्यप्रणाली, दिशानिर्देशों, नियमों आदि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आईओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और संस्था/जीसीए इसके सदस्य होंगे। निगरानी समिति प्रशासक द्वारा निर्धारित जीसीपी पोर्टल पर अर्धवार्षिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। स्वतंत्र निगरानी के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त किया जाएगा। वृक्षारोपण के सत्यापन/निगरानी के लिए सत्यापनकर्ताओं की मान्यता/पैनलबद्धता के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। जीसीपी पोर्टल इसकी प्रगति को ट्रैक करेगा और उचित रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में अनुरक्षित किए जाएंगे।

4. लेखांकन और लेखापरीक्षा :

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए प्रशासक, एसएनओ, आईओ और संबंधित रेंज वन अधिकारी के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग बचत खाता खोला और अनुरक्षित किया जाएगा। जीसीए से भुगतान प्राप्त होने के बाद, प्रशासक वृक्षारोपण के अग्रिम कार्यों को पूरा करने के लिए एसएनओ को धनराशि जारी करेगा। बाद में वृक्षारोपण कार्य की प्रगति के अनुसार एसएनओ को धनराशि किस्तों में जारी की जाएगी। निधि प्रवाह तंत्र, निधि संवितरण, वित्तीय और लेखांकन प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा आदि के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे।

5 जीसी के लाभ :

5.1 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, जैसा लागू हो, के तहत वनेतर उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के मामले में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) के अनुपालन के बदले जीसीपी के तहत शुरू किए गए वृक्षारोपण का विनिमय जा सकता है।

5.2 अर्जित जीसी का उपयोग लागू नियमों के अनुसार ईएसजी नेतृत्व संकेतक के तहत या सीएसआर के तहत रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(**नमिता प्रसाद**)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
ईमेल: nameeta.prasad@gov.in
दूरभाष: 011-20819324

सेवा में,

मुख्य सचिव,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार

प्रतिलिपि :

1. सचिव के वरिष्ठ पीपीएस/डीजीएफ और एसएस के पीपीएस/अपर डीजीएफ (एफसी) के पीपीएस
2. प्रधान सचिव (वन), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
4. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, प्रभारी जीसीपी
5. महानिदेशक, आईसीएफआरई
6. वन महानिरीक्षक, एनएईबी
7. सीईओ, एनसीएएमपीए/एडीजी (एफसी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पीपीएस
8. एनआईसी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इसकी एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

संलग्नक-IV

'आईएसएफआर 2023' के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अभिलिखित वन क्षेत्र (आरएफए)

(क्षेत्र वर्ग किमी में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	आरएफए (विभिन्न श्रेणियों में)			कुल आरएफए (2023)	जीए का %
			आरक्षित वन	संरक्षित वन	अवर्गीकृत वन*		
1.	आंध्र प्रदेश	1,62,923	31,959	5,069	230	37,258	22.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	83,743	12,371	11,857	27,312	51,540	61.55
3.	असम	78,438	17,864	0	8,972	26,836	34.21
4.	बिहार	94,163	693	6,183	566	7,442	7.90
5.	छत्तीसगढ	1,35,192	25,899	24,554	9,363	59,816	44.25
6.	दिल्ली	1,483	85	13	6	104	7.01
7.	गोवा	3,702	119	755	397	1,271	34.33
8.	गुजरात	1,96,244	14,574	2,898	4,398	21,870	11.14
9.	हरियाणा	44,212	249	1,158	152	1,559	3.53
10.	हिमाचल प्रदेश	55,673	1,883	28,887	7,178	37,948	68.16
11.	झारखंड	79,716	4,500	18,922	1,696	25,118	31.51
12.	कर्नाटक	1,91,791	28,690	3,931	5,663	38,284	19.96
13.	केरल	38,852	11,522	0	0	11,522	29.66
14.	मध्य प्रदेश	3,08,252	61,886	31,098	1,705	94,689	30.72
15.	महाराष्ट्र	3,07,713	50,865	6,433	4,654	61,952	20.13
16.	मणिपुर	22,327	1,926	3,254	12,238	17,418	78.01
17.	मेघालय	22,429	1,125	12	8,371	9,508	42.39
18.	मिजोरम	21,081	4,499	1,823	1,157	7,479	35.48
19.	नगालैंड	16,579	234	9	8,389	8,632	52.07
20.	ओडिशा	1,55,707	36,049	25,133	22	61,204	39.31
21.	पंजाब	50,362	44	1,137	1,903	3,084	6.12
22.	राजस्थान	3,42,239	12,176	18,588	2,105	32,869	9.60
23.	सिक्किम	7,096	5,452	389	0	5,841	82.31
24.	तमिलनाडु	1,30,060	20,523	I,053	1,612	23,188	17.83
25.	तेलंगाना	1,12,122	25,800	1,592	296	27,688	24.69
26.	त्रिपुरा	10,486	3,588	2	2,705	6,295	60.03
27.	उत्तर प्रदेश **	2,40,928	11,571	330	5,534	17,435	7.24
28.	उत्तराखंड	53,483	26,547	9,885	1,568	38,000	71.05
29.	पश्चिम बंगाल	88,752	7,054	3,778	1,053	11,885	13.39
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	5,613	1,558	0	7,171	86.93
31.	चंडीगढ़	114	32	0	3	35	30.70
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	602	206	5	6	217	36.05
33.	जम्मू और कश्मीर — शेपफ़ाइल क्षेत्र *** (54,633)	2,22,236	17,648	2,551	0	20,199	9.09
34.	लद्दाख — शेपफाइल क्षेत्र *** (1,68,055)		7	0	0	7	-
35.	लक्षद्वीप	30	0	0	0	0	-
36.	पुडुचेरी	490	0	2	11	13	2.65
	कुल	**32,87,469**	**4,43,253**	**2,12,859**	**1,19,265**	**7,75,377**	**23.59**

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वन विभाग

* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अवर्गीकृत वन में आरक्षित वन और संरक्षित वन को छोड़कर अन्य सभी वन शामिल हैं।

** उत्तर प्रदेश के मामले में, आरएफए में सड़क, रेलवे लाइन और नहर के किनारे किए गए 9,662.76 किमी पर रेखीय वृक्षारोपण शामिल नहीं है।

*** भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रदान की गई शेपफ़ाइल का क्षेत्र (अगस्त 2021)।